संख्याः 29/2020/750/46-1-20-20(01)/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहाँपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2020**

विषयः-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन आदि सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या: 41/2019/1274/46-1-2019-20(01)/2017, दिनांक 11.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित शासनादेश का प्रस्तर-4 व 5 निम्नवत है:-

प्रस्तर-4 "उक्त निर्गत शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन का भुगतान (राशिकरण देय नहीं) शासनादेश संख्या: 678सी.डी./46-03-11-2 (श.वि.नि.)/2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 द्वारा पेंशन निधि हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये पाँच करोड़ से प्राप्त ब्याज तथा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् की स्वयं की आय से प्राप्त धनराशि के 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाय।"

प्रस्तर-5 "इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये कार्मिकों की पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सरकारी पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23.12.2016, शासनादेश संख्या: 23/2017/ सा-3-329/दस-2017-308/2016, दिनांक 18.07.2017, शासनादेश संख्या: 31/2017/ सा-03-524 /दस-2017-308(8)/2016, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

04.09.2017 एवं शासनादेश संख्या: 15/2018/सा-3-10/दस-2018-308/2016, दिनांक 01.05.2018 के अनुसार किया जायेगा।

(2) परिषद के दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये कार्मिकों के संबंध में जारी शासनादेश संख्या: 38/2016-सा-3-921/दस-2016-308/2016, दिनांक 23.12.2016 के अनुसार किया जायेगा।

(3) परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

(4) इन आदेशों के क्रम में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण/निर्धारण के फलस्वरूप देय एरियर का भुगतान परिषद द्वारा अपने संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किश्तों में किया जायेगा।"

3. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में निर्धारित व्यवस्था तथा प्रस्तर-5 में निर्धारित व्यवस्था आपस में विरोधाभाषी है। प्रस्तर-5 की व्यवस्था के विद्यमान रहते प्रस्तर-4 की व्यवस्था के अनुसार पेंशन की गणना एवं भुगतान की कार्यवाही करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

4. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन की गणना हेतु शासनादेश संख्या: 41/2019/1274/46-1-2019-20(01)/2017, दिनांक 11.10.2019 का प्रस्तर-5 विलोपित किया जाता है तथा इसके स्थान पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी की गणना एवं भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

प्रस्तर-5

(1) शासनादेश दिनांक 11.10.2019 के प्रस्तर-5 को विलोपित करते हुए शासनादेश के प्रस्तर-4 में निर्धारित स्ववित्त पोषित पेंशन स्कीम में उपलब्ध धनराशि से सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन की गणना करते हुए भुगतान किया जायेगा।

परिषद के ऐसे कार्मिक जिन्हें परिषद में संविलियन के पूर्व सरकारी सेवा के लिए पेंशन अनुमन्य है, की सरकारी सेवा तथा परिषद की सेवा के लिए पेंशन का आगणन पृथक-पृथक किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि पेंशन का आगणन हेतु सरकारी सेवा तथा परिषद की अर्हकारी सेवा का योग कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों के अनुसार अधिकतम अर्हकारी सेवा से अधिक न हो।

(2) ग्रेच्युटी की गणना एवं भुगतान वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(3) परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(4) पारिवारिक पेंशन का आगणन संगत नियम के अनुसार परिषद की सेवा हेतु किया जायेगा। उ.प्र. गन्ना शोध संगठन का उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के रूप में पुर्नगठन सम्बन्धी गन्ना विकास विभाग के शासनादेश संख्या: 4699सी.डी./12एच.-1000(15)/76, दिनांक 15.12.1976 के प्रस्तर-6(8) के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पूर्ण दायित्व परिषद का है। अत: पारिवारिक पेंशन का भुगतान परिषद द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

5. उक्त के फलस्वरूप शासनादेश संख्या: 41/2019/1274/46-1-2019-20(01) /2017, दिनांक 11.10.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

6. यह शासनादेश के वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 677/दस-2020, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 29/2020/750(1)/46-1-20-20(01)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उ.प्र., प्रयागराज।
2. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चीनी एवं गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in